न्यायालयः— उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 98/2017

श्री अशोक पिता तख्तमल जाति जैन आयु व्यस्क वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ (राज0)

——प्रार्थीया

बनाम

1. किशनदास पिता मोहनदास जाति बैरागी, आयु व्यस्क, निवासी सेमलिया
2. बद्रीदास पिता मोहनदास जाति बैरागी, आयु व्यस्क, निवासी सेमलिया
3. संतोषदास पिता मोहनदास जाति बैरागी, आयु व्यस्क, निवासी सेमलिया
4. वरदी बेवा मोहनदास जाति बैरागी, आयु व्यस्क, निवासी सेमलिया
5. रंगदास पिता हीरादास जाति बैरागी, आयु व्यस्क, निवासी सेमलिया
6. कमलदास पिता रामदास जाति बैरागी, आयु व्यस्क, निवासी सेमलिया
7. रोशन पिता रामदास जाति बैरागी, आयु व्यस्क, निवासी सेमलिया
8. कौशल्या बेवा रामदास जाति बैरागी, आयु व्यस्क, निवासी सेमलिया
9. रामी बेवा रामदास जाति बैरागी, आयु व्यस्क, निवासी सेमलिया
10. मो0 शकील पिता अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान, आयु व्यस्क, निवासी निम्बाहेड़ा
11. लक्ष्मीनारायण पिता नानुराम जाति व्यास, आयु व्यस्क, निवासी निम्बाहेड़ा
12. सार्वजनिक निर्माण विभाग, निम्बाहेड़ा त0 निम्बाहेड़ा
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— 1— अनुराग ओझा — अधिवक्ता वादी

::निर्णय:: दिनांक 31.5.2022

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लै0रे0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा सिगरी प0ह0 जलियां तह0 निम्बाहेडा के खाता सं 20 की आराजी न0 227 रकबा 0.6700 हैक्टेयर हैं । प्रार्थी के पास बंटवाडे से व उत्तरी भाग रकबा 0.3500 हे0 विपक्षी से 1 से 11 के शामलाती रहा, इसी प्रकार खाता स0 13 की आराजी नं0 229 रकबा 0.0017 हेक्टेयर, भूमि भी विपक्षी कमांक 1 से 4 व 6 से 11 के शामलाती खातेदारी की रही । इसी प्रकार खाता स0 134 की आ0न0 228 रकबा 0.4200 हे0 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम पर दर्ज होकर सडक के रूप में हैं। वादग्रस्त आराजी स0 227, 228, 229 पूर्व में तीनो ही आराजीयात आ0न0 142 का भाग थी उक्त आराजी न0 142 में मध्य मे से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त कर सडक बनाई गई जिसका वर्तमान आ0न0228 हैं इस प्रकार आ0न0 142 के नवीन सेटेलमेंट के तीन टुकडे हुए आ0न0 228 के दक्षिण में 229 व आ0न0 228 के उत्तर में आ0न0 227 स्थापित हुई । परन्तु सहवन से सेटलमेंट अधिकारियों की गलती से

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

जमावंदी के रकबे के मुकाबंल नक्शे के क्षेत्रफल में फेरबंदल हैं । आ0न0 227 रकबा 0.6700 हे0 सम्पूर्ण वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड हैं परन्तु नवीन नक्शे में उक्त आराजीयात का क्षैत्रफल 61 आरी ही बनता हैं । वही आ0न0 229 जो वर्तमान जमाबंदी में रकबा 0.1700 हे0 दर्ज हे का नवीन नक्शे में क्षैत्रफल 22 आरी बनता हैं । इस प्रकार उक्त दोनो ही आराजीयात के जमाबंदी के रकबे एंव नक्शे के क्षैत्रफल में फेरबदल हैं जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक हैं ।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी दौराने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो पर आधार कार्ड व पहचान पत्र एवं ग्राम सिगरी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ का प्रमाणिकरण पेश किया है और तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उपरोक्त प्रार्थी की मौजा सिगरी प0ह0 जलिया तह0 निम्बाहेडा की की रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 226, 228 व 229 तीनो ही आराजीयात को सेटलमेंट से पूर्व एक ही आराजी नम्बर 142 था जिसके नवीन आराजी न0 227 रकबा 0.67 हे0 आराजी न0 228 रकबा 0.42 हे0 व आराजी न0 229 रकबा 0.17 हे0 आराजी न0 228 मध्य मे स्थित होकर सडक हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होकर अवाप्त हो चुकी हैं । आराजी नम्बर 229 का क्षेत्रफल 0.17 के बजाय नक्शे में 0.21 हे0 बनता हैं एव आराजी न0 227 रकबा 0.67 हे0 के बजाय नक्शे में 0.63 हे0 बनता हैं जो शुद्ध किया जाना प्रस्तावित उचित है । वर्तमान आराजी न0 227 का विभाजन होकर आराजी न 227 रकबा 0.32 हे0 एंव 387/227 रकबा 0.35 हे दर्ज रिकार्ड है व आराजी न0 229 रकबा 0.17 मे से 0.15 हे अवाप्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हो चुकी हैं । शेष रकबा 0.02 हे0 खातेदार के नाम दर्ज हैं जो शुद्ध किया जाना उचित होगा ।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने प्रकरण में जिस नामान्तरण संख्या को आधार बनाया है वो स्वीकृत नहीं है। नया व पुराना रेकार्ड में भी कोई अन्तर नही है । साथ ही मौके पर भी प्रार्थी का कब्जा नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता हैं ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)